

**न्यायालय — सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला — बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्र.क.क.मांक—1007 / 2012
संस्थित दिनांक—07 / 12 / 2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

विरुद्ध

1—साहिद खान उर्फ साहिल खान पिता जावेद खान,
जाति—मुसलमान, उम्र—20, निवासी—कमल नगर बैहर,
तहसील—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—जावेद खान पिता छोटे खान,
जाति—मुसलमान, उम्र—47, निवासी—कमल नगर बैहर,
तहसील—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक—17/07/2014 को घोषित)

1— आरोपी साहिद खान उर्फ साहिल खान के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—3/181, 51/177 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—27.10.2012 को शाम 17:30 बजे स्थान कटंगी मेन रोड थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर मोटरसाईकिल टी.वी.एस. अपाचे पंजीयन क्रमांक—एम.पी.50/एम.बी.6800 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए उक्त वाहन द्वारा आहत छन्नूलाल की सायकल को टक्कर मारते हुए आहतगण छन्नूलाल एवं देवाली को साधारण उपहति कारित किया तथा उक्त दुर्घटना कारित वाहन को बिना चालक अनुज्ञप्ति के एवं नंबर नियमानुसार न होकर चालन किया तथा आरोपी जावेद खान पर मोटर यान अधिनियम की धारा—5/180, 51/177 के अन्तर्गत यह आरोप है कि उसने उक्त वाहन का स्वामी होते हुये बिना चालक अनुज्ञप्तिधारी वाले व्यक्ति से तथा नंबर नियमानुसार न होकर चालन करवाया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—27.10.2012 को शाम 17:30 बजे स्थान कटंगी मेन रोड थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर मोटरसाईकिल टी.वी.एस. अपाचे पंजीयन क्रमांक—एम.पी.50/एम.बी.6800 को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए फरियादी/छन्नूलाल की सायकल को ठोस मार दिया, जिससे आहत छन्नूलाल तथा देवाली को भी चोट आयी। आहतगण को ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल बैहर में भर्ती किया गया,

जिस पर शासकीय अस्पताल बैहर द्वारा उक्त घटना की लिखित तहरीर थाना बैहर में दी गई, जिस पर पुलिस द्वारा आरोपीगण विरुद्ध अपराध क्रमांक-154/2012, धारा-279, 337 भा.द.सं. धारा-3/181, 51/177, 5/180 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, पुलिस द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, अनुसंधान के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार कर आरोपीगण से दुर्घटना कारित वाहन मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान उपरांत न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया गया।

3- आरोपी साहिद उर्फ साहिल खान को भा.द.वि. की धारा 279, 337 एवं मोटर यान अधिनियम की मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181, 51/177 एवं आरोपी जावेद खान को मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180, 51/177 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहतगण छन्नूलाल एवं देवाली ने आरोपी साहिद उर्फ साहिल खान से राजीनामा कर लिया है, जिस कारण आरोपी साहिद उर्फ साहिल खान के विरुद्ध धारा-337 भा.द.वि. का अपराध शमन किया जा कर शेष अपराध धारा-279 भा.द.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 51/177 हेतु आगे विचारण किया गया है। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी साहिद उर्फ साहिल खान ने दिनांक-27.10.2012 को शाम 17:30 बजे स्थान कटंगी मेन रोड थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर मोटरसाईकिल टी.वी.एस. अपाचे पंजीयन क्रमांक-एम.पी.50/एम.बी.6800 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?
2. क्या आरोपी साहिद उर्फ साहिल खान ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त दुर्घटना कारित वाहन को बिना चालक अनुज्ञप्ति के एवं नंबर नियमानुसार न होकर चालन किया ?
3. क्या आरोपी जावेद खान ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन का स्वामी होते हुये बिना चालक अनुज्ञप्तिधारी वाले व्यक्ति से चालन करवाया एवं उक्त वाहन का नंबर नियमानुसार नहीं पाया?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी/आहत छन्नूलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है, घटना पिछले वर्ष ठंड के समय की है। घटना दिनांक को वह अपनी सायकल से देपाली के साथ जा अचानकपुर जा रहा था तो सामने से मोटरसाइकिल लहराते हुए आयी और उसकी सायकल को टक्कर मार दी, जिससे वे लोग गिर गये। उक्त दुर्घटना में उसके सिर पर चोट आयी थी। आरोपी उक्त मोटरसाइकिल को नहीं चला रहा था। आरोपीगण ने उसे ईलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर लाये थे। घटना को देवेन्द्र, मिनेश, राजकुमार ने देखे थे। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव से इंकार किया है कि दुर्घटना के समय आरोपी मोटरसाइकिल चला रहा था तथा इस तथ्य से भी इंकार किया है कि मोटरसाइकिल का नं. एम.पी. 50/एम.बी.6800 था। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी के द्वारा घटना के समय मोटरसाइकिल चलाये जाने से इंकार किया है, बल्कि कथित दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल से दुर्घटना होने से भी इंकार किया है।

6— अन्य आहत देवाली (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना एक वर्ष पूर्व की है, वह छन्नूलाल के साथ सायकल में बैठकर कटंगी के लिए निकले थे तो मेन रोड पर एक मोटरसाइकिल वाले ने उनकी सायकल को टक्कर मार दिया था, जिससे वे लोग गिर गये थे। उक्त दुर्घटना में उसके सिर पर चोट आयी थी। उसका ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में हुआ था। उसने मोटरसाइकिल का नम्बर व कौन चला रहा था नहीं देख पायी थी। पुलिस ने उसका बयान नहीं लिये थे। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव से इंकार किया है कि दुर्घटना के समय आरोपी मोटरसाइकिल चला रहा था तथा इस तथ्य से भी इंकार किया है कि मोटरसाइकिल का नम्बर एम.पी.50/एम.बी.6800 था। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी के द्वारा घटना के समय मोटरसाइकिल चलाये जाने से इंकार किया है, बल्कि कथित दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल से दुर्घटना होने से भी इंकार किया है।

7— चिकित्सीय साक्षी डॉ.एन.एस.कुमारे (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-27.10.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। साक्षी ने आहत देवाली को चिकित्सीय परीक्षण में साधारण चोट कारित होने की पुष्टि की है।

8— चक्षुदर्शी साक्षी देवेन्द्र (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आहत छन्नूलाल को जानता है। वह आरोपीगण को नहीं जानता। घटना लगीग ढेड़ वर्ष पूर्व ग्राम कटंगी की है। उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखा

था, जब वह बैहर अस्पताल पहुंचा था तब उसे छन्नूलाल का एक्सीडेंट होने की जानकारी लगी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं ली थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव से इंकार किया है कि दुर्घटना के समय आरोपी मोटरसाइकिल चला रहा था तथा इस तथ्य से भी इंकार किया है कि मोटरसाइकिल का नं. एम.पी.50/एम.बी.6800 था। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी के द्वारा घटना के समय मोटरसाइकिल चलाये जाने से इंकार किया है, बल्कि कथित दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल से दुर्घटना होने से भी इंकार किया है।

9— अनुसंधानकर्ता अधिकारी कानूसिंह खण्डाते (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—28.10.2012 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक—154/14, धारा—279, 337 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था। विवेचना के दौरान उसके द्वारा घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—6 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी छन्नूलाल, साक्षी देवाली, बिनेश उर्फ मिनेश, देवेन्द्र, राजकुमार, देवलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। दिनांक—21.11.2012 को उसके द्वारा आरोपी साहिद खान उर्फ साहिल खान से साक्षियों के समक्ष जप्ती प्रदर्श प्रदर्श पी—7 के अनुसार मोटरसाइकिल क्रमांक—एम. पी.50/एम.बी.6800 रजिस्ट्रेशन व इंश्योरेंस के कागजात सहित जप्त किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा साक्षियों के समक्ष आरोपी साहिद उर्फ साहिल खान को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—8 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसके द्वारा मोटरसाइकिल मालिक जावेद खान को धारा—133 मोटर यान अधिनियम के तहत नोटिस दिया गया था, जिसके जवाब में जावेद खान द्वारा मोटरसाइकिल उसके पुत्र आरोपी साहिद उर्फ साहिल खान के द्वारा चलाया जाना लेख किया गया था। उक्त नोटिस व जवाब प्रदर्श पी—9 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा वाहन का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराया गया था तथा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर चालान के साथ संलग्न किया गया है। आरोपी के द्वारा घटना समय बिना लायसेंस के वाहन का चालन किये जाने से धारा 3/181 मोटर यान अधिनियम का इजाफा किया गया था तथा आरोपी जावेद खान के द्वारा उक्त वाहन को बिना लायसेंस वाले व्यक्ति को चलाने दिये जाने से धारा—5/180 एवं उक्त वाहन में नियमानुसार नम्बर न होने से धारा—51/177 मोटर यान अधिनियम का इजाफा किया गया था।

10— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षीगण स्वयं आहतगण

छन्नूलाल एवं देवाली ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय कथित दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल से दुर्घटना होना तथा आरोपी के द्वारा उक्त दुर्घटना कारित वाहन को चलाये जाने से इंकार किया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य चक्षुदर्शी साक्षी ने अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार आरोपी साहिद उर्फ साहिल के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। मामले में केवल समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित करने का प्रयास किया है, किन्तु मामले में महत्वपूर्ण व चक्षुदर्शी साक्षीगण के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने से उक्त अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य का अधिक महत्व नहीं रह जाता है।

11— अभियोजन की ओर से आरोपी साहिद उर्फ साहिल के द्वारा घटना के समय कथित वाहन चलाये जाने एवं कथित वाहन से दुर्घटना होने की साक्ष्य पेश नहीं है। ऐसी दशा में आरोपी के द्वारा कथित रूप से लोकमार्ग पर कथित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाया जाना प्रमाणित नहीं होता है। अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान के दौरान कथित दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल को आरोपी साहिद उर्फ साहिल से जप्त करना प्रकट किया है, किन्तु मात्र जप्ती कार्यवाही के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि घटना के समय आरोपी साहिद उर्फ साहिल के द्वारा कथित दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल को चलाया जा रहा था अथवा आरोपी जावेद खान के द्वारा उक्त वाहन के स्वामी होते हुए बिना लायसेंस वाले व्यक्ति को वाहन चलाने हेतु दिया था तथा अपने वाहन में नम्बर नियमानुसार न होने पर भी उसका चालन किया जा रहा था। इस प्रकार अभियोजन का सम्पूर्ण मामला संदेहास्पद प्रकट होता है।

12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आरोपी साहिद उर्फ साहिल ने लोकमार्ग पर मोटरसाइकिल टी.वी.एस. अपाचे पंजीयन क्रमांक-एम.पी.50/एम.बी. 6800 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना चालक अनुज्ञप्ति के एवं नंबर नियमानुसार न होकर चालन किया तथा आरोपी जावेद खान ने जावेद खान ने उक्त वाहन का स्वामी होते हुये बिना चालक अनुज्ञप्तिधारी वाले व्यक्ति से चालन करवाया एवं उक्त वाहन का नंबर नियमानुसार नहीं पाया। अतएव आरोपी साहिद उर्फ साहिल खान को भारतीय दण्ड विधान की धारा-279 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181, 51/177 के अंतर्गत तथा आरोपी जावेद खान को मोटर यान अधिनियम की धारा-5/180, 51/177 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया

जाता है।

13— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल टी.वी.एस. अपाचे पंजीयन क्रमांक—एम.पी.50/एम.बी.6800 को सुपुर्ददार जावेद खान पिता छोटे खान को प्रदान की गई है। अतः उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् सुपुर्ददार/आवेदक के पक्ष में उन्मोचित समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)